ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0– 50/2018–19

एकलैया कुमार महतो बनाम् दिगम्बर महतो

08.10.2022

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक एकलैया कुमार महतो, पे0–श्री गुलाब महतो, स्थाई पता–सा0–घोरीचक, थाना–बलबड्डा, वर्त्तमान पता सा0–झुरकुसिया, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–घोरीचक नं0–331, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–40 के अन्दर रकवा–00–13–17 धूर एवं दाग नं0–41 के अंदर रकवा 00–02–08 धूर जमीन से विपक्षी दिगम्बर महतो, पे0–देवेन्द्र महतो, साकिन–घोरीचक, थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार उभय पक्षों को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्षों द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण–पृच्छा दाखिल किया। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक–07.02.2019 को आवेदन के माध्यम से अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–521/रा0 दिनांक–14.05.2018 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर आपत्ति दर्ज करते हुए कार्यपालक दण्डधिकारी, महागामा से जाँच कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में कार्यपालक दण्डाधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक–1221/सा0, दिनांक–03.09.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया कि विपक्षी द्वारा प्रासंगिक भूमि को लेकर शपथ पत्र/कुरफानामा दिखलाया गया, जिसकी कोई विधिक मान्यता नहीं है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, महागामा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकनोंपरान्त प्रासंगिक भूमि के जमावंदी रैयत से विपक्षी का कोई संबंध नहीं रहने के कारण अवैध भूमि हस्तांतरण प्रतीत होता है। अतः विपक्षी को प्रासंगिक भूमि से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (पूरक), 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

08.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

08.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Bande Kumar Singh
Advt
02/11/22

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2022.12.14 16:36:52 +05:30
Location: 192.168.8.100